

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 544 सन 2019

अनवान :-

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. कृष्णलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
4. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 46/42 के प0न0 96/58(21) किला न0 3 ,4/0.506 , 5/0.038 ,6/0.190 ,7 ,8/0.506 ,14 ता 17/1.0120 ,25/0.253 ,कुल 1.2400हैक् प0न0 96/59(28) किला न0 5/1 की 0.0250 ,गै0मु0 खाला किला न0 5/2 की 0.228 ,6/0.2530 ,15/2 की 0.240 ,प0न0 116/3(29) किला न0 1/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,20/2 की 0.2400 ,21/1 की 0.0130हैक् कुल 4.2630हैक् भूमि एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 114/167 की कुल 9.8900 हैक् में से 1/4 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बिरबल पुत्र सदुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बिरबल पुत्र सदुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बिरबल पुत्र सदुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसका बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बिरबल पुत्र सदुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है इसलिये वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 46/42 के प0न0 96/58(21) किला न0 3 ,4/0.506 , 5/0.038 ,6/0.190 ,7 ,8/0.506 ,14 ता 17/1.0120 ,25/0.253 ,कुल 1.2400हैक् प0न0 96/59(28) किला न0 5/1 की 0.0250 ,गै0मु0 खाला किला न0 5/2 की 0.228 ,6/0.2530 ,15/2 की 0.240 ,प0न0 116/3(29) किला न0 1/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,20/2 की 0.2400 ,21/1 की 0.0130हैक् कुल 4.2630हैक् भूमि एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 114/167 की कुल 9.8900 हैक् में से 1/4 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बिरबल पुत्र सदुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बिरबल पुत्र सदुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बिरबल पुत्र सदुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसका बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 46/42 के प0न0 96/58(21) किला न0 3 ,4/0.506 , 5/0.038 ,6/0.190 ,7 ,8/0.506 ,14 ता 17/1.0120 ,25/0.253 ,कुल 1.2400हैक् प0न0 96/59(28) किला न0 5/1 की 0.0250 ,गै0मु0 खाला किला न0 5/2 की 0.228 ,6/0.2530 ,15/2 की 0.240 ,प0न0 116/3(29) किला न0 1/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,20/2 की 0.2400 ,21/1 की 0.0130हैक् कुल 4.2630हैक् भूमि एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 114/167 की कुल 9.8900 हैक् में से 1/4 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।


पर्या खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि बिरबल पुत्र सदुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बिरबल पुत्र सदुराम के नाम से दर्ज है वादी

के दादा बिरबल पुत्र सदूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से बाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् बाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के हकदार है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की बाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल है।

वादी के बाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के बाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 46/42 की कुल 4.2630 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 114/167 की कुल 9.8900 हैक् में से 1/4 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. कृष्णलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
4. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 544 सन 2019 निर्णय दिनांक- 11/02/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 46/42 की कुल 4.2630 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 114/167 की कुल 9.8900 हैक् में से 1/4 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)